इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 485] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 10, शक 1937

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2015

फा. क्र. 01-2016-वि. निर्वा.-तीन-482.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 23-2015-ई.आर.एस. दिनांक 30 नवम्बर 2015 में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:—

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2015— 9 अग्रहायण, 1937 (शक)

अधिसूचना

सं. 23-2015-**.ERS:—**यत:, आयोग ने पत्र सं. 23-2015-**.ERS,** दिनांक 31 जुलाई 2015 द्वारा बिहार को छोड़कर मध्यप्रदेश सहित सभी राज्यों में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2016 के आधार पर निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम घोषित किया था; और

यत:, मध्यप्रदेश राज्य में दावे एवं आपत्तियों प्रस्तुत करने की अवधि मौलिक रूप से 2 नवम्बर 2015 से 30 नवम्बर 2015 तक निर्धारित था; और

यत:, राज्य में निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 2 नवम्बर 2015 को किया गया; और

यत:, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश ने आवेदन किया है कि दावे एवं आपत्तियों को प्रस्तुत करने की अवधि को बढ़ा दिया जाए ताकि वैसे योग्य व्यक्ति जिनका नाम निर्वाचक नामावली में अभी तक दर्ज नहीं है इस हेतु आवेदन कर सके; और

यत:, आयोग ने इस समबन्ध में विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया है कि दावे एवं आपत्तियों को प्रस्तुत करने की अवधि को 15 दिसम्बर, 2015 तक बढ़ा दिया जाए.

अतः, अब, आयोग ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अर्हता तिथि 01 जनवरी 2016 के आधार पर निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम के संदर्भ में राज्य के 171-देवास, 191-अलीराजपुर (अ.ज.जा.), 192-जोबट (अ.ज.जा.), 193-झाबुआ (अ.ज.जा.), 194-थांदला (अ.ज.जा.), 195-पेटलावद (अ.ज.जा.), 219-रतलाम ग्रामीण (अ.ज.जा.), 220-रतलाम सिटी तथा 221-सैलाना (अ.ज.जा.) विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर सभी विधान सभा क्षेत्रों में दावे एवं आपत्तियों को प्रस्तुत करने की अवधि को 15 दिसम्बर, 2015 तक बढ़ाता है.

आदेश से,

हस्ता./-

(आर. के. श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road—New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 30th November 2015—9 Agrahayana, 1937 Saka

NOTIFICATION

No. 23-2015-ERS.—WHEREAS, the Commission had announced the schedule for Special summary Revision of electoral rolls with reference to 01-01-2016 as the qualifying date in all States/UTs including Madhya Pradesh (except Bihar) *vide* its letter No. 23-2015-ERS dated 31st July, 2015; and

WHEREAS, the period of filing claims and objections in Madhya Pradesh was originally fixed from 2nd November, 2015 to 30th November, 2015; and

WHEREAS, the draft rolls were published on 2nd November, 2015 in the State; and

WHEREAS, Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh has requested for extension of the period of filing claims and objections so as to facilitate all the eligible persons who have not got their names enrolled in the electoral roll so far; and

WHEREAS, the Commission has considered the matter and has decided that the period of filing claims and objections should be extended up to 15th December, 2015.

NOW, THEREFORE, the Commission, in exercise of the power conferred by proviso to Rule 12 of the Registration of Electors Rules, 1960, extends, for all Assembly Constituencies except 171-Dewas, 191-Alirajpur (ST), 192-Jobat (ST), 193-Jhabua (ST), 194-Thandla (ST), 195-Petlawad (ST), 219-Ratlam Rural (ST), 220-Ratlam City and 221-Sailana (ST) assembly Constituencies in the State of Madhya Pradesh, the period for filing claims and objections up to 15th December, 2015 (Tuesday) for ongoing Special Summary Revision of electoral roll with reference to 01-01-2016 as the qualifying date.

By order,

Sd./-

(R. K. SRIVASTAVA)
Principal Secretary,
Election Commission of India.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.